

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - भांकरोटा, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 - 2850551-75



() जरारासंविदि / शैक्ष. / 19 /

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

सत्र 2019-20 के लिये आचार्य पाठ्यक्रम संचालन बाबत स्थाई सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालय की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.07.2019 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सत्र 2019-20 से निम्नांकित आचार्य महाविद्यालय को उनके सामने अंकित विषय में स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवेदित विषय
1	सेठ श्री सूरजमल तापडिया शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, जसवन्तगढ़ नागौर	आचार्य स्तर - नव्य व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष

— 58 —
(अशोक कुमार शर्मा)
आर.ए.एस.

कुलसचिव

दिनांक:- 3/8/19

क्रमांक : प () जरारासंविदि / शैक्ष. / 19 / 14959-64

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविदि, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंविदि, जयपुर।
4. सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक शाखा जरारासंविदि, जयपुर को भेजकर लेख है कि आगामी निरीक्षण बोर्ड की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करावें।
5. सहायक कुलसचिव, बैठक शाखा, जरारासंविदि, जयपुर को भेजकर लेख है कि आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करावें।
6. प्रभारी वेबसाईट, जरारासंविदि, जयपुर को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें।
7. संबंधित महाविद्यालय.....

32
कुलसचिव



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,
ग्राम-मदाऊ, पोस्ट-भांकरोटा, जिला-जयपुर 302026

जरासंवि/शै. /12/ 6489

दिनांक :- 02/11/12

सचिव,
सेठ श्री सूरजमल तापड़िया
आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
पोस्ट-जसवन्तगढ़, जिला-नागौर
(राजस्थान)

विषय:- सत्र 2012-13 से ही शास्त्री स्तर पर स्थायी सम्बद्धता बाबत।
महोदय,

विषान्तर्गत सत्र 2012-13 के लिए शास्त्री स्तर पर स्थायी सम्बद्धता हेतु आपके आवेदन पत्र पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित सम्बद्धता समिति की दिनांक 03.09.2012 की बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार एवं निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.09.2012 में की गई पुष्टि के अनुसार सत्र 2012-13 से ही स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

आवेदित विषय:- समस्त अनिवार्य विषय, नव्य व्याकरण, साहित्य, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ज्योतिष शास्त्र

भवदीय

कुलसचिव